न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **गितेश श्री मालवीय,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 113/2021 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 03.11.2021
G.C.M.S. NO. :- 2021/113

1–मोडीराम आत्मज भवाना जाति धाकड़, उम्र वयस्क, निवासी दौलतपुरा, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–बालूराम आत्मज भवाना जाति धाकड़, उम्र वयस्क, निवासी दौलतपुरा, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलांट्स

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार, बेगूं प्रकरण संख्या 472/2021 ना. क. निर्णय दिनांक 23.10.2021

उपस्थितिः–1– श्री सत्यनारायण ईनाणी, अधिवक्ता अपीलांट्स
2– श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 02.09.2022

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 23.10.2021 के द्वारा अपीलांट्स को ग्राम बेगूं, तहसील बेगूं आराजी नम्बर 1855, 1856 एवं 1857 रकबा 1.18 हैक्टेयर भूमि पर अपीलांट का नाजायज कब्जा मानकर बिना कोई सुनवाई का अवसर दिए बेदखली एवं पेनाल्टी वसूली का आदेश पारित किया जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार, बेगूं से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट्स के अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि तहसील बेगूं के ग्राम बेगूं की आराजी नम्बर 1855, 1856 एवं 1857 रकबा 1.18 हैक्टेयर किस्म बिलानाम भूमि पर अपीलांट का अनाधिकृत कब्जा मानकर अपीलांट के विरूद्ध बेदखली एवं पेनाल्टी का आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

मौजा बेगूं की उक्त विवादित आराजीयात को बिलानाम नहीं माना जा सकता क्योंकि वर्तमान में यह आराजीयात मंदिर श्री पटवा समाज के नाम अंकित है जो भी रेकार्ड की गलती से दर्ज है। उक्त आराजीयात अपीलांट्स के खातेदारी की होकर मेवाड़ राज्य के समय से ही अपीलांट्स के पूर्वज श्री हरिराम पिता नारायण धाकड़ के कब्जे-काश्त में चली आ रही है। इन आराजीयात के साबिक नम्बर 1852, 1853 एवं 1854 है जो बंदोबस्त से पूर्व भी हमारे पूर्वज हरिराम वल्द नारायण धाकड़ के कब्जे एवं काश्त में चली आ रही है और जरिये इन्तकाल संख्या 298 फैसल दिनांक 27.09.78 से खड़मदार खातेदार मेवाड़ राज्य के समय से काबिज होने से उनके नाम रेकार्ड में अंकन किये जाने का आदेश हुआ और जमाबंदी मे भी उनका नाम बहैसियत खातेदार अंकन हुआ व पास-बुक जारी हुई किन्तु बाद में रेकार्ड में गड़बड़ की जाकर अपीलांट्स का नाम हटा दिया किन्तु अपीलांट्स आज तक काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे हैं तथा दो ट्यूबवेल भी खुदा रखे हैं और पुराना कुआ भी है इस प्रकार अपीलांट्स अतिक्रमी नहीं है। मंदिर मूर्ति की आड में लोग नाजायज लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं मंदिर मूर्ति श्री मुरलीधर जी बेगूं सिर्फ माफीदार थे जो लगान लेने के अधिकारी रहे और दिनांक 01.01.63 से माफियां समाप्त हो जाने से उन्हें एन्यूटी मिलने लगी और लगान राज्य सरकार लेने लगी। मंदिर सिलावट समाज का बताकर पुजारी चेतनदास पिता कानादास बैरागी ने विवादित आराजीयात बाबत सहायक कलेक्टर, बेगूं के यहां वाद बाबत कब्जेयाबी पेश किया जिसके मुकदमा नम्बर 17/79 राजस्व वाद होकर दिनांक 20.04.81 को खारिज हुआ और प्रतिवादी/अपीलांट्स को खातेदार स्वीकार किया इन तथ्यों को छिपाते हुए भाट समाज के लोगों ने इस मंदिर को पटवा भाट समाज में मोहल्ले में स्थित होने से इसे पटवा भाट समाज के नाम पर अंकित

करा दिया और अपीलांट्स के विरूद्ध सहायक कलक्टर, बेगूं के यहां फिर से धारा 183 काश्तकारी अधिनियम के तहत कब्जे हेतु वाद दायर करा दिया जो वाद अभी भी लम्बित है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी तथ्यों को दरकिनार करते हुए अपीलांट्स को अधीनस्थ न्यायालय ने अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किए बिना ही उक्त आदेश पारित किया है जो पूर्णतः विधि-विरूद्ध होकर प्राकृतिक न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट संख्या 1 व 2 का अनाधिकृत कब्जा मानते हुए निर्णय पारित किया है जबकि अपीलांट संख्या 2 के नाम कोई नोटिस ही जारी नहीं किया है तथा न ही नोटिस अपीलांट्स को विधिवत् तामील कराए गए हैं। विवादित आराजीयात पर अपीलांट का वर्षों पुराना कब्जा है उसके बावजूद भी बिना कोई सुनवाई एवं पुराने कब्जे को साबित करने का अवसर दिए विवादित आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होकर निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 23.10.2021 निरस्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि राजकीय बिलानाम भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखली एवं शास्ति आरोपित करने का पारित आदेश विधि सम्मत् है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.09.2021 को धारा 91, राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट्स के नाम नोटिस जारी करने हेतु लिखा जाकर तारीख पेशी दिनांक 23.09.2021 नियत की गई किन्तु दिनांक 23.09.2021 की उपस्थिति बाबत कोई नोटिस जारी होना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नहीं पाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 21.09.2021 को जो नोटिस जारी किया गया है उस पर अपीलांट को न्यायालय में उपस्थित होने बाबत दो दिनांक 29.09.2021 एवं 23.10.2021 अंकित की हुई है तथा दोनों दिनांकों में

अलग-अलग पेन की इंक का इस्तेमाल किया गया है तथा उक्त नोटिस अपीलांट्स को विधिवत् तामील भी नहीं करवाया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रथम आदेशिका दिनांक 21.09.2021 को लिखी जाकर आगामी दिनांक 23.09.2021 नियत की गई है उसके पश्चात् दिनांक 23.09.2021 में कोई आदेशिका नहीं लिखी गई है और सीधे दिनांक 23.10.2021 में आदेशिका लिखी गई है कि ''पत्रावली पेश हुई। अतिक्रमी उपस्थित। निर्णय अलग लिखा जाकर शामिल फाईल है।'' अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई हेतु न तो विधिवत् सूचना पत्र जारी किये गये और न ही अपना जवाब प्रस्तुत करने व पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया।

यहां हम यह उल्लेख करना चाहेंगे कि कोई भी निर्णय पारित किये जाने से पूर्व पक्षकारों को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को न तो विधिवत् नोटिस जारी करना तथा न ही विधिवत् सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना पाया जाता है जो कि नैसर्गिग न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

निष्कर्षतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 23.10.2021 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट्स को साक्ष्य, सबूत पेश करने तथा विधिवत् सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर नए सिरे से विधि-सम्मत् निर्णय पारित करें।

''निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।''

(गितेश श्री मालवीय)